न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 213/2019

1. हरजीराम पुत्र कल्याणसहाय जाति गुर्जर निवासी बडौली तहसील दौसा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 23.10.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरजीराम मु0नं0 237/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 28.9.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 23.10.2019 को ग्राम बडोली तहसील दौसा के आ0ख0नं0 2665 कुल रकबा 2.90 है0 किस्म चरागाह मे से 0.15 है0 भूमि पर संवत 2076 में ग्वार की फसल बुआई कर अतिचार करने पर अपीलांट को दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का के बयान भी दर्ज नही किये है एवं जिरह का मौका भी नही दिया गया। अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नही है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अतिक्रमित भूमि का खसरा नंबर का भी अंकन नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कैफियत मे पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं0 2665 रकबा 0.15 है0 पर ग्वार की फसल बुआई कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर स्वयं अपीलांट के चचेरे भाई के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिचार कर ग्वार की फसल बुवाई की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से नहीं करवाई गई है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि पर ग्वार की काश्तकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्श्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 23.10.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नकल खसरा परिवर्तनशील (पी–14) की प्रति संलग्न नहीं है जिसमे अतिक्रमी द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमण किया जाना साबित होता हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10. 2019 में अतिक्रमी द्वारा किस खसरा नंबर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इसका भी अंकन नहीं किया गया है। अपीलांट को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जारी नोटिस की तामील भी चचेरे भाई से करवाई गई है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य नहीं होने एवं अतिक्रमी की विधिवत तामील भी नहीं कराई गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिये गये तर्को को मध्य नजर रखते हुए न्याय हित को मध्य नजर रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का एक मौका दिया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2019 को निरस्त किया जाकर जाता है एवं उप तहसीलदार सैंथल को प्रकरण रिमांड कर निर्देश दिये जाते है कि निर्णय के आलोक में एवं अपीलांट को पुनः साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व रिकार्ड की जांच की जाकर विधिसम्मत निर्णय 03 माह की अवधि में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.9.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा